न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00026)

जसवीर सिंह उर्फ जग्गा सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगजीत सिंह
2. बलविन्द्र सिंह
3. महेन्द्र सिंह
4. सोहन सिंह
5. हरमेल सिंह
6. गुरमेल सिंह
7. सरजीत कौर
8. मलकीत कौर
9. दलीप कौर

(क्रम 1 से 9) पिसरान् निधान सिह जाति कुम्हार सिख साकिन रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

10. अग्रेंज सिह
11. चरण सिंह
12. सुरेन्द्र सिंह

(क्रम 10 से 12) पिसरान् गुरमेल सिह जाति कुम्हार सिख साकिन रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6

13. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हरदीप सिंह –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4

निर्णय **दिनांकः 29.08.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा के आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा पंचायत समिति टिब्बी के आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 03.09.2019 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 3 एवं 5

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ता 12 के निमित साधारण नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 4 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे है।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक बहस सुनी गई। उन्होने बहस के दौरान अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि निधान सिह के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है, भूमि 1 आर. डब्ल्यू.डी. में खसरा नं. 215/341 मे किला नं. 18, 19 ,20, 21 व 22 ता 24, 25 एवं खसरा नं. 216/341 में किला नं. 21, खसरा नं. 214/342 के किला नं. 1, 2 ता 6, 7 ता 9, 10, 11, 12 ता 15, खसरा नं. 216/342 के किला नं. 1, 10, 11, खसरा नं. 214/341 के किला नं. 11, 12, 13, 16, 17, 18 ता 25 चक 2 आर डब्ल्यू.डी. खसरा नं. 214/341 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8 चक 2 ए.जी. खसरा नं. 218/346 के किला नं. 11 ता 13 व खसरा नं. 218/347 के किला नं. 12, 19 व 22 कुल 54 बीधा 2 बिस्वा (39 बीधा 3 बिस्वा कमाण्ड व 14 बीधा 19 बिस्वा अनकमाण्ड) भूमि थी। उक्त भूमि की खातेदारी निधान सिह को दिनांक 09.10.1995 को प्राप्त हो गई थी तथा उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 10 ता 12 के पक्ष में दिनांक 13.08.2008 को करवा दी थी तथा समस्त ब्यौरा वसीयत में अंकित कर दिया था। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 23.08.2019 को हो गई थी। उसी दिन से स्वतः वसीयत लागू हो गई थी। आज तक रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद किसी भी न्यायालय मे वसीयत को चेलेन्ज या निरस्त नही करवाया गया है। उक्त भूमि बाबत वसीयत से नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार के समक्ष (उप तहसीलदार तलवाडा झील के) जैरकार है तथा हल्का पटवारी को सूचना दिनांक 26.08.2019 को दी जा चुकी थी। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की संभावना होने पर उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.09.2019 को ग्राम पंचायत के समक्ष सूचना भेज दी गई थी कि प्रकरण वसीयत विचाराधीन है इस कारण विरासतन् इन्तकाल की कोई कार्यवाही न करे तथा ग्राम सरपंच ने भी दिनांक 03.09.2019 को उक्त आदेश की प्रति दी जा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चुकी थी तथा प्राप्त कर ली थी फिर भी इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया नियमो की घोर अवहेलना हुई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03.09.2019 निरस्त फरमावें व वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2006 पेज 125, RRD 1987 पेज 115, RRD 1993 पेज 28, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा पंचायत समिति टिब्बी के आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा ग्राम सभा में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उक्त प्रकरण में उप तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ाझील (हनुमानगढ) में वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा पंचायत समिति टिब्बी के आदेश दिनांक 03.09.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ाझील (हनुमानगढ) को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर